की तामील हेतु तलवाना शुल्क प्रस्तुत किया गया था परन्तु उसके बाद सम्मन लौटकर न्यायालय में प्राप्त नहीं हुए, अतः यह नहीं माना जा सकता है की वादी द्वारा तलवाना देने के अभाव में सम्मनों की तामील नहीं हुई है। इसलिए प्रति सं. 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 2 जा.दी. खारीज किये जाने योग्य है।।

अतः प्रतिवादी सं. 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 2 जा.दी. खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 10.10.2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (भीलवाड़ा)

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील जवाब अप्रार्थी नं. 3 के अलावा [illegible] के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते उभय पक्षों ने बहस करनी चाही। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 17.10.22 को पेश हो।

[illegible]
[illegible] (भीलवाड़ा)

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। अर्जी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है अलग पृष्ठ पर लिखकर फैसला सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियत [illegible] हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 159 / 2020
दायर दिनांक :– 04.08.2020

अनवान

रफीक मोहम्मद पिता मजीद खां मुसलमान नि. जहाजपुर तह0 जहाजपुर
वादी.....

बनाम

1. बिस्मिल्ला बैगम बेवा लुकमान खां मुसलमान नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर
2. अजीज मोहम्मद पिता मजीद खां मुसलमान नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर
3. शफीक मोहम्मद पिता मजीद खां मुसलमान नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर
4. शहनाज पुत्री मजीद खां मुसलमान नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर
5. मेहराज पुत्री मजीद खां मुसलमान नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर
6. मुन्नी पुत्री मजीद खां मुसलमान नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर
7. घीसुलाल पिता भैरूलाल माली नि. जहाजपुर तह. जहाजपुर
8. कालूराम पिता गोकल मीणा नि. इन्द्रपुरा तह. देवली
9. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री फारूख अली, एडवोकेट वादी
2. श्री अखलाक खान, एडवोकेट प्रतिवादी सं. 3

:: आदेश ::

दिनांक 17.10.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम जहाजपुर पटवार हल्का जहाजपुर मे आराजी खसरा सख्या 903 रकबा 01–06 बीघा कुल किता 01 रकबा 01–06 बीघा कृर्षि आराजी कृर्षि आराजी स्थित है। प्राथी एव अप्रार्थीगण एक लगायत आठ एव स्वर्गीय शरीफन बेवा मजीद खा के नाम राजस्व रिकार्ड मे अकित है शरीफन बेवा मजीद खा का देहान्त हो जाने से उसके विधिक उत्तराधिकारी प्रार्थी एव अप्रार्थी सख्या एक लगायत छ है। प्रार्थी एव अप्रार्थीगण एक लगायत आठ सयुक्त रूप से काबिज हो कास्त कर सयुक्त रूप से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है प्रार्थी एव अप्रार्थीगणो के मध्य मिट्स एण्ड बोण्डस या अन्य मौके अनुसार या अन्य किसी भी आधार पर आज तक विधिक बटवाडा नही हुआ है। उक्त वर्णित आराजीयात संयुक्त आराजीयात होकर प्रार्थी एव अप्रार्थीगण एक लगायत आठ सयुक्त रूप से काबिज हो कास्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी एव अप्रार्थीगण एक लगायत आठ के मध्य कभी भी किसी भी प्रकार से मिट्स एण्ड बोण्डस (गुणावगुण) के आधार पर विधिक बटवाडा नही हुआ हैं। प्रार्थी अनपढ गरीब कास्तकार होने से अप्रार्थीगण इसका नाजायज फायदा उठाते हुऐ अप्रार्थीगण प्रार्थी की किमती रोड से लगती हुई आराजीयात मे से प्रार्थी को जबरन शक्ति के बल पर बेदखल कर विक्रय करने पर आमादा

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

है। प्रार्थी को अप्रार्थीगण कम किमती ऊपजाऊ देने पर आमादा है जबकि प्रार्थी अप्रार्थीगणो के साथ प्रति आराजीयात पर इक हिस्सेनुसार मिटस एण्ड बोण्डस के आधार पर हिस्सेदार है अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी के साथ विवाद उत्पन्न करते रहते है। अप्रार्थीगण कहते है कि तुझे प्रार्थना पत्र की चरण सख्या दो मे वर्णित सहभुमि मे से किमती ऊपजाऊ रोड से लगती हुई आराजी मे से जबरन बेदखल करके किमती आराजी जो कि सडके के किनारे कि किमती भुमि है उस को हम विकय कर देगे ताकि तु हमेशा हमेशा के लिए तेरे इक हिस्से से वंचित हो जाए। प्रार्थी को अप्रार्थीगण उसके इक हिस्से मे से जबरन बेदखल करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण प्रभावशाली व्यक्ति है। प्रार्थी गरीब अनपढ व्यक्ति होकर अप्रार्थीगण प्रार्थी के इक हिस्से पर जबरन कब्जा कर उसे विक्रय कर विकेता को सिपुर्द करने पर आमादा है अगर अप्रार्थीगण किमती उपजाऊ आराजी पर बिना मिटस एण्ड बोण्डस (गुणावगुण) बटवाडा कराये बिना सम्पुर्ण विक्रय कर सम्पुर्ण भुमि का कब्जा अन्य विकेता को सिपुर्द कर देते है तो वादी अपने समान इक हिस्से की किमती एव ऊपजाऊ आराजी से हमेशा हमेशा के लिए वचित हो जाऐगे एव व्यर्थ की मुकमदे बाजी मे उलझना पडेगा। उक्त वर्णित भुमि को किसी अन्य व्यक्ति को विकय करने हेतु लाया और उसे सड़क के किनारे एव ऊपजाऊ भुमि को विक्रय हेतु बताने लगा मुझ प्रार्थी ने अप्रार्थीगणो को कहा कि जब तक विधिक गुणावगुण आधार पर बटवाडा नही हो जाता तब तक किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय नही किया जावे तो अप्रार्थीगणो ने मुझ प्रार्थी को धमकी दी कि हम किमती एव उपजाऊ आराजी पर बिना बटवाडा कराये बिना सडक के पास स्थित भुमि को किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय करके रहेगे और विक्रेता को सडक के पास की भूमि का कब्जा सिपुर्द कर देगे एव पेड पौधे को जबरन काट कर विक्रय करके पेड पौधे के हक हिस्से से तुझे महरूम कर देगे ताकि तु किमती आराजी से बेदखल हो जाऐ प्रार्थी ने अप्रार्थीगणो को गुणावगुण के आधार पर विधिक बटवाडा कराने का निवेदन किया तो गुणावगुण के आधार पर विधिक बटवाडा कराने से इन्कार कर दिया। उक्त दिनांक से वाद हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अप्रार्थीगण प्रभावशाली व्यक्ति है अप्रार्थीगण दादागिरी एव शक्ति के बल पर जबरन प्रार्थना पत्र की चरण सख्या दो मे वर्णित आराजी पर जबरन सड़क के किनारे की उपजाऊ भुमि कब्जा कर अन्य को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द करने पर आमादा है। सयुक्त भुमि पर स्थित सयुक्त पेडो को कटवा कर विक्रय करने पर अप्रार्थीगण एक लगायत आठ आमादा है जिनका उनको कोई हक अधिकार नहीं है। अगर प्रार्थी की आराजीयात के उपयोग उपभोग मे अप्रार्थीगण शक्ति के बल पर वचित कर कब्जा कर लेते है एव ऊपजाऊ किमती भुमि को बिना विधिक बटवाडा करवाये बिना किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर देते है भुमि पर स्थित पेडो को कटवा कर विक्रय कर देते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी अप्रार्थीगणो का मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना निहायत आवश्यक एव न्यायोचित है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण हो सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे है। अगर अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण सख्या दो मे वर्णित आराजीयात के उपयोग उपभोग मे अप्रार्थीगण शक्ति के बल पर वचित कर कब्जा कर लेते है और सड़क के पास स्थित भुमि को बिना सहखातेदारो के मिट्स एण्ड बोण्डस के आधार पर बिना विधिक बटवाडा करवाये बिना किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर देते है भुमि पर स्थित पेडो को कटवा कर विक्रय कर देते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपुति का मुल्याकन किया जना सम्भव नही है प्रार्थना पत्र की ताईद मे शपथपत्र पेश है। अत: निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र की चरण सख्या दो मे वर्णित आराजीयात मे बिना विधिक बटवाडे हुऐ बिना किसी भी अन्य व्यक्ति को विक्रय रहन आदि नहीं करे ना ही आराजीयात मे स्थित पेड पौधे काटे। इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा कि डिकी वादी बहक अप्रार्थी एक लगायत सात पारित कराना फरमावे कि मूल वाद के निस्तारण तक पार्थना पत्र की चरण सख्या दो मे वर्णित आराजीयात की राजस्व रिकार्ड की एव मौके की यथास्थिती बनाये रखने की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण बहक अप्रार्थीगण सादर पारित कराना फरमावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। वकील प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1, 2, 4 से 8 के विरूद्व कोई कार्यवाही नही चाहते है। अप्रार्थी सं. 3 की और से श्री अखलाक खान एडवोकेट द्वारा अधिकार पत्र पेश कर जवाब पेश किया गया। जिसकी नकल वकील प्रार्थी को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी सं. 3 की और से जवाब पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम जहाजपुर पह0 जहाजपुर की आ. सं. 903 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी से दर्ज है। उक्त भूमि के आस–पास कोई रोड नहीं है। मात्र खेतों पर आने–जाने का रास्ता मौजूद है। और प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. एक लगायत छ के पिता मजीद खाँ की मृत्युपरान्त मजीद खाँ जी के सभी वारिसान उक्त भूमि पर मौखिक रूप से विभाजन करके अपने–अपने हिस्से को कास्त करते चले आ रहे है।व शेष सभी खातेदारों ने भी अपने हिस्सेनुसार मौके पर बंटवाडा करके अपने–अपने हिस्से को कास्त करते चले आ रहे हैं।व इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। प्रार्थी स्वंय बेईमान प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जो कि प्रत्यैक फसल वर्ष में इसके हिस्से की भूमि को बदल–बदल कर कास्त करता रहता है,और अन्य परिवार के सदस्यों, शेष कास्तकारों के समझाने पर लडाई–झगडे पर आमादा होता है।और प्रार्थी को इमानदारी से मात्र इसका हिस्सा कास्त करने की समझाने पर सभी को धमकियां देता है,कि मैं इस भूमि पर झूठा दावा लगाकर कोर्ट–स्टे लगवा दूंगा, जिससे कोई भी कास्तकार अपनी फसल को कास्त नहीं कर पायेगा और मनमर्जी से खातेदार अपने हिस्से पर के0 सी0 सी0 भी नहीं ले पायेगा। प्रार्थी ने कभी भी किसी सहखातेदार को मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विधिनुसार भूमि का बंटवाडा कराने की नहीं कहा है। प्रार्थी को कभी भी किसी ने भूमि विक्रय करने की, या भूमि से किसी भी प्रकार वंचित करने की धमकी नहीं दी है। प्रार्थी झगडालु प्रवृति का व्यक्ति है जो कि अपने हिस्से की खातेदारी भूमि से अधिक भूमि पर कब्जा करना चाहता है व अकारण मौतबीरान अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से उक्त वाद पत्र मय प्रार्थना पत्र पेश किया है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत झूठे व मनगढन्त तथ्यो पर आधारित होने से काबीले खारिज है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील उभयपक्षों की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान बताया कि उपरोक्त विवादित आराजीयात के उपयोग उपभोग मे अप्रार्थीगण शक्ति के बल पर वंचित कर कब्जा कर लेते है एव ऊपजाऊ किमती भुमि को बिना विधिक बटवाडा करवाये बिना किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर देते है भुमि पर स्थित पेडो को कटवा कर विक्रय कर देते है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण हो सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे है। अगर अप्रार्थीगण वर्णित आराजीयात के उपयोग उपभोग मे अप्रार्थीगण शक्ति के बल पर वंचित कर कब्जा कर लेते है और सडक के पास स्थित भुमि को बिना सहखातेदारो के मिट्स एण्ड बोण्डस के आधार पर बिना विधिक बटवाडा करवाये बिना किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर देते है भुमि पर स्थित पेडो को कटवा कर विक्रय कर देते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपुर्ति का मुल्याकन किया जना सम्भव नही है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे बिना विधिक बटवाडे हुऐ बिना किसी भी अन्य व्यक्ति को विक्रय रहन आदि नहीं करे ना ही आराजीयात मे स्थित पेड पौधे काटे। इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा कि डिकी वादी बहक अप्रार्थी एक लगायत सात पारित कराना फरमावे कि मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थना पत्र की चरण सख्या दो मे वर्णित आराजीयात की राजस्व रिकार्ड की एव मौके की यथास्थिती बनाये रखने की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने के आदेश प्रदान कराना फरमावे।

वकील अप्रार्थी सं. 3 ने बहस के दौरान बताया कि उक्त भूमि के आस–पास कोई रोड नहीं है। मात्र खेतों पर आने–जाने का रास्ता मौजूद है। और प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. एक लगायत छ के पिता मजीद खाँ की मृत्युपरान्त मजीद खाँ जी के सभी वारिसान उक्त भूमि पर मौखिक रूप से विभाजन करके अपने–अपने हिस्से को कास्त करते चले आ रहे है। व शेष सभी खातेदारों ने भी अपने हिस्सेनुसार मौके पर बंटवाडा करके अपने–अपने हिस्से को कास्त करते चले आ रहे हैं। व इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। प्रार्थी स्वंय बेईमान प्रवृत्ति का व्यक्ति है। जो कि प्रत्यैक फसल वर्ष में इसके हिस्से की भूमि को बदल–बदल कर

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

कास्त करता रहता है, और अन्य परिवार के सदस्यों, शेष कास्तकारों के समझाने पर लडाई–झगडे पर आमादा होता है। और प्रार्थी को इमानदारी से मात्र इसका हिस्सा कास्त करने की समझाने पर सभी को धमकियां देता है,कि मैं इस भूमि पर झूठा दावा लगाकर कोर्ट–स्टे लगवा दूंगा, जिससे कोई भी कास्तकार अपनी फसल को कास्त नहीं कर पायेगा और मनमर्जी से खातेदार अपने हिस्से पर के0 सी0 सी0 भी नहीं ले पायेगा। प्रार्थी ने कभी भी किसी सहखातेदार को मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विधिनुसार भूमि का बंटवाडा कराने की नही कहा है। प्रार्थी को कभी भी किसी ने भूमि विक्रय करने की, या भूमि से किसी भी प्रकार वंचित करने की धमकी नहीं दी है। प्रार्थी झगडालु प्रवृति का व्यक्ति है जो कि अपने हिस्से की खातेदारी भूमि से अधिक भूमि पर कब्जा करना चाहता है व अकारण मौतबीरान अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से उक्त वाद पत्र मय प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थीगण सहखातेदार है इस कारण सहखातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा विधि अनुसार जारी नहीं कि जा सकती है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत झूठे व मनगढन्त तथ्यो पर आधारित होने से काबीले खारिज है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया खारिज फरमावे।

वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहखातेदार है। प्रार्थी सहखातेदार होने के कारण उक्त आराजी के विभाजन का अधिकार रखता है। परंतु प्रार्थी का अन्य 5 व्यक्तियों के साथ विवादित आराजी में 1/6 हिस्सा है, प्रार्थी के हिस्से में विवादित आराजी के कुल क्षेत्रफल 1–06 बीघा में से बहुत कम क्षेत्रफल आता है। साथ ही प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रार्थना पत्र में समस्त अप्रार्थीगण द्वारा विक्रय किए जाने एवं मौके से बेदखल किए जाने की आशंका जताते हुए समस्त अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई थी, जिसे दौराने बहस प्रार्थी द्वारा संशोधित करते हुए सिर्फ अप्रार्थी सं. 3 के विरूद्व ही अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है। उपरोक्तानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र सद्भावी प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण नही पाया गया है। यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो नवीन व्यक्तियों को आराजी का कुछ हिस्सा अप्रार्थी सं. 3 द्वारा विक्रय किये जाने की संभावना है। जिससे प्रार्थी को कुछ असुविधा होगी। यदि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थी सं. 3 को विवादित आराजी में स्वंय में हिस्से में ऋण लिये जाने में असुविधा होगी। इस प्रकार अपूरणीय क्षति एवं सुविधा के संतुलन के बिंदू प्रार्थी अथवा अप्रार्थी सं. 3, किसी एक के पक्ष में नही पाया गया। अतः न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित नहीं समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. खारिज किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner